

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मेसर्स सिंह कैटरर्स एंड वैंडर्स

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3696

9 मई 2023

(माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस सही है?

हेडनोट्स

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017—धारा 65(6) और 161—लेखा परीक्षा—याचिकाकर्ता एक करदाता है—याचिकाकर्ता लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और सुधार आवेदन पर विचार न किए जाने से व्यथित था—लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर पारित आदेश सुधार योग्य है और इस पर विचार किए बिना, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती—लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अंतिम नहीं है और कर निर्धारण अधिकारी को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में बताई गई खामियों के बारे में निर्णय लेना होगा, जिसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

निर्णय: सुधार आवेदन द्वारा, याचिकाकर्ता धारा 65 के तहत लेखा परीक्षा अधिकारी से प्रतिवेदन की पुनः जांच करने की मांग करता है; जो धारा 161 के तहत अनुमेय नहीं है - कारण बताओ नोटिस से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने सुधार आवेदन के निपटारे की प्रतीक्षा करने का विशिष्ट अनुरोध किया था - कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि अभिलेख में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है, जिसे धारा 161 के तहत सुधारा जा सके और धारा 73

के तहत अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है - रिट याचिका अवलोकन के साथ खारिज कर दी गई।

(कंडिका 3, 4, 12, 14)

न्याय दृष्टान्त

कुछ भी नहीं

अधिनियमों की सूची

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

मुख्य शब्दों की सूची

लेखापरीक्षा; करदाता, कर; कारण बताओ; सुधार; खाता बही; कर निर्धारण।

प्रकरण से उत्पन्न

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री मोहित अग्रवाल, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से: श्री विवेक प्रसाद, जीपी-7।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3696

=====

अपने एक साझेदार, नाम- राकेश सिंह, उम्र- लगभग 47 वर्ष, पुरुष, पिता- कुंवर रणबीर सिंह, निवासी- कुंवर हाउस, प्लॉट सं.- 3 वाई, सडक सं.-11, राजेंद्र नगर, थाना- राजेंद्र नगर, जिला-पटना, के माध्यम से, मेसर्स सिंह कैटरर्स एंड वेंडर्स, एक साझेदारी फर्म जिसका कार्यालय कुंवर हाउस, (राजेंद्र नगर), सडक सं. 11, पटना।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. प्रधान सचिव-सह-आयुक्त, राज्य कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
3. प्रधान सचिव-सह-आयुक्त, राज्य कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. अपर आयुक्त, राज्य कर (लेखा परीक्षा), पूर्वी प्रमंडल, पटना।
5. संयुक्त राज्य कर आयुक्त, कदमकुआं अंचल, पटना।
6. राज्य कर उपायुक्त, कदमकुआं अंचल, पटना।
7. सहायक राज्य कर आयुक्त, कदमकुआं अंचल, पटना।

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री मोहित अग्रवाल, अधिवक्ता
 उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद, जी.पी-7

=====

गणपूर्ति : माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक : 09-05-2023

रिट याचिकाकर्ता बिहार वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत एक निर्धारित है। याचिकाकर्ता धारा 65 (6) के तहत जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और अधिनियम की धारा 161 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा

किए गए सुधार आवेदन पर विचार न करने से व्यथित है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर पारित आदेश धारा 161 के तहत सुधार के लिए उत्तरदायी है और इस पर विचार किए बिना, अनुलग्नक-5 में आकलन अधिकारी द्वारा जारी कारण-बताओ नोटिस के साथ आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का तर्क है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को याचिकाकर्ता को सुनने के बाद अंतिम रूप दिया गया था और धारा 161 के तहत किसी भी सुधार का कोई सवाल ही नहीं है, विशेष रूप से क्योंकि सुधार आवेदन में उठाए गए पहलू जो अनुलग्नक-4 में देखे गए हैं, वे ऐसे मामले नहीं हैं जिन्हें अभिलेख के सामने त्रुटि कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता सुधार आवेदन द्वारा जो प्रयास करता है वह उक्त आदेश की समीक्षा है। इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि, किसी भी स्थिति में, लेखापरीक्षा की प्रतिवेदन अंतिम नहीं है और मूल्यांकन अधिकारी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताए गए दोषों के बारे में निर्णय लेना होगा, जिसके लिए कारण बताने की नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए प्रत्येक तर्क को निर्धारण अधिकारी द्वारा देखा जा सकता है, यह बचाव पक्ष का तर्क है।

हमने धारा 65 को देखा है जो कर अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा की बात करती है। किसी भी पंजीकृत व्यक्ति की लेखापरीक्षा धारा 65 के तहत किया जा सकता है, और यह पंजीकृत व्यक्ति के व्यवसाय स्थल या उनके कार्यालय में आयोजित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा के संचालन से कम से कम पंद्रह कार्य दिवस पहले सूचना जारी करने की आवश्यकता है और शुरू किया गया लेखापरीक्षा तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा, एक विस्तार केवल आयुक्त के आदेश पर संभव है। लेखापरीक्षा के दौरान, अधिकृत अधिकारी पंजीकृत व्यक्ति से लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करने, ऐसी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है

जिसकी उसे आवश्यकता हो और लेखापरीक्षा को पूरा करने के लिए सहायता भी प्रदान करने की अपेक्षा कर सकता है।

लेखा परीक्षा के समापन पर धारा 65 की उप-धारा (6) के तहत, तीस दिनों के भीतर, पंजीकृत व्यक्ति को निष्कर्षों, उसके अधिकारों और दायित्वों और ऐसे निष्कर्षों के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यदि धारा 65 की उप-धारा (1) के तहत किए गए लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस किया गया है या इनपुट कर जमा का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है या उपयोग किया गया है, तो उचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के तहत कार्यवाई शुरू कर सकता है। धारा 73 धोखाधड़ी या कुछ भी जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों के छुपाने के अलावा किसी भी कारण से गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किए गए कर का भुगतान नहीं किए गए या कम भुगतान किए गए या गलत तरीके से वापस किए गए या इनपुट कर जमा के निर्धारण की बात करती है। धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों को छुपाने के आरोप हैं, तो उन्हीं दोषों के लिए धारा 74 के तहत कार्यवाही शुरू करनी होगी।

धारा 73 और 74 दोनों में उचित अधिकारी से, कर से प्रभार्य व्यक्ति को सूचना देने की अपेक्षा की गई है और उससे कारण बताने की अपेक्षा की गई है कि उसे ब्याज और जुर्माने के साथ सूचना में निर्दिष्ट कर राशियों का भुगतान करने का निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। धारा 73 (2) के तहत सूचना की अवधि तीन महीने के रूप में निर्दिष्ट की गई है जबकि धारा 74 की उप-धारा (2) के तहत कम से कम छह महीने की आवश्यकता है। दोनों प्रावधानों के तहत उप-धारा (10) में निर्दिष्ट सीमाओं से, धारा 73 के तहत उप-धारा (9) के तहत आदेश जारी करने के लिए तीन साल और धारा 74 की उप-धारा (9) के तहत आदेश के रूप में पांच साल हैं।

दोनों धाराओं 73 और 74 के तहत प्रावधान उचित अधिकारी के लिए

निर्धारिती के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान करते हैं, जिस पर आरोप लगाया जाता है कि उसने किसी भी दोष को जन्म दिया है, जो लगभग समान मामले हैं। इसलिए, एक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के बावजूद जो उचित अधिकारी को धारा 73 या 74 के तहत आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है, यह उचित अधिकारी को इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या धारा 65 के तहत या धारा 73 और धारा 74 के तहत निर्दिष्ट सूचना में कोई दोष है, ताकि निर्धारिती के आगे के कर दायित्व के बारे में निर्णय लिया जा सके।

इसी पृष्ठभूमि में यहाँ आक्षेपित कारण-बताओ नोटिस की जांच की जानी चाहिए। अनुलग्नक-1 याचिकाकर्ता के परिसर में लेखापरीक्षा किए जाने के बाद धारा 65 (6) के तहत जारी की गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन है। मूल्यांकन वर्षों 2017-18 के लिए देखी गई विसंगतियों का विवरण अनुलग्नक-1 क में दिया गया है।

दिनांकित 22.12.2022, अनुलग्नक-2, दिनांकित 23.12.2022 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार, लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई विसंगतियों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए एक सूचना भी जारी किया गया था। अनुलग्नक-2 में ऊपर उल्लिखित राशियों का भुगतान करने या असहमति की स्थिति में सहायक दस्तावेजों के साथ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का एक विशिष्ट निर्देश था।

प्रतिवेदन को अनुलग्नक-3 के अनुसार अंतिम रूप दिया गया था, जो विशेष रूप से इंगित करता है कि करदाता का प्रतिनिधि, लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों के साथ सुनवाई की अलग-अलग तारीखों पर उपस्थित हुआ था। लेखा पुस्तकों और संबंधित दस्तावेजों के संदर्भ में सारांश विवरणी का विस्तृत विश्लेषण भी किया गया था। अवलोकन अनुलग्नक-3 क के पृष्ठ-2 में पाए जाते हैं, जिसमें यह विशेष रूप से देखा गया है कि "क्षेत्राधिकार अधिकारी बी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ वास्तविक कुल बिक्री को सत्यापित और सुनिश्चित कर सकता है।" इसलिए, एक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई टिप्पणी अंतिम निर्णय नहीं है, और हमने यह

भी देखा है कि स्पष्टीकरण की जांच पर कुछ विसंगतियों को हटा दिया गया है।

अनुलग्नक-4, धारा 161 के तहत दायर सुधार आवेदन है, जो, जैसा कि, विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है, अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटियों के विवरण के तहत नहीं आता है। सुधार आवेदन द्वारा निर्धारिती/याचिकाकर्ता को धारा 65 के तहत लेखापरीक्षा अधिकारी से प्रतिवेदन की फिर से जांच करने की आवश्यकता होती है; जो धारा 161 के तहत अनुमेय अभ्यास नहीं है।

अंत में, हमें अनुलग्नक-5, कारण-बताओ सूचना पर ध्यान देना होगा। कारण बताओ सूचना इंगित करता है कि निर्धारिती ने सुधार आवेदन के निपटारे की प्रतीक्षा करने के लिए एक विशिष्ट अनुरोध किया था। निर्धारण अधिकारी ने ठीक ही पाया कि अभिलेख में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है, जिसे धारा 161 के तहत ठीक किया जा सकता है और किसी भी स्थिति में, अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार पर धारा 73 की कार्यवाही शुरू की गई है। निर्धारण अधिकारी यह भी सचेत रूप से दर्ज करता है कि यदि करदाता द्वारा कोई प्रस्तुति की जाती है तो उसे अभिलेख में लिया जाएगा। आकलन अधिकारी होने के नाते उचित अधिकारी ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को देखा है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाई गई वस्तुओं पर कारण बताओ सूचना में अपनी संतुष्टि दर्ज की है और यह निर्धारिती को इसके खिलाफ आपत्तियां उठाने में भी सक्षम बनाता है।

हमारी राय है कि रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं है, विशेष रूप से जब सुधार आवेदन, जिसके आधार पर धारा 73 के तहत कार्यवाही को स्थगित रखने की मांग की जाती है, याचिकाकर्ता द्वारा सार्थक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। यदि निर्धारण अधिकारी ने कार्यवाही पूरी नहीं की है, तो याचिकाकर्ता को अपनी आपत्तियाँ दायर करने और निर्धारण अधिकारी के समक्ष उन पर विचार करने का अधिकार होगा।

रिट याचिका खारिज कर दी जाती है, लेकिन उपरोक्त आरक्षण के साथ।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(मधुरेश प्रसाद, न्यायमूर्ति)

आदित्य/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।